सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 56 राँची, रविवार, 4 पौष, 1938 (श०) / 25 दिसम्बर, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

24 नवम्बर, 2016

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, धनबाद का पत्रांक-22/गो०, दिनांक 5 जनवरी, 2013
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1270, दिनांक 8 फरवरी, 2013; संकल्प संख्या-3683, दिनांक 2 मई, 2013; पत्रांक-5302, दिनांक 19 जून, 2013; पत्रांक-5566, दिनांक 23 जून, 2015 एवं पत्रांक-10761, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015
3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1417/रा०, दिनांक 29 अप्रैल, 2013
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-54, दिनांक 23 जनवरी, 2015
5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-712, दिनांक 8 मार्च, 2016
6. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1516, दिनांक 13 जुलाई, 2016

संख्या- 5/आरोप-1-387/2014 का.-9901-- श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 645/03, गृह जिला- राँची) के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-22/गो०, दिनांक 5 जनवरी, 2013 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित किया गया, जिसमें श्री नायक के विरूद्ध मैथन थर्मल पावर लिमिटेड हेतु रेलवे लाइन के अधिष्ठापन के निमित्त भू-अर्जन के क्रम में मुआवजा भुगतान में निहित स्वार्थ भाव से घोर अनियमितता बरतने संबंधी कुल-21 आरोप प्रतिवेदित किये गये ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-1270, दिनांक 8 फरवरी, 2013 द्वारा श्री नायक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परंतु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया । अतः विभागीय संकल्प संख्या-3683, दिनांक 2 मई, 2013 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसी क्रम में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1417/रा०, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं, जिसके आधार पर विभाग स्तर से पूरक आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-5302, दिनांक 19 जून, 2013 द्वारा उक्त पूरक आरोप-पत्र को संचालन पदाधिकारी को भेजते हुए इसे भी श्री नायक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-54, दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध मुआवजा के भुगतान में अनियमितता बरते जाने से संबंधित 21 में से 18 आरोप तथा अनधिकृत अनुपस्थिति से संबंधित पूरक आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री नायक के विरूद्ध वर्णित गंभीर प्रकृति के 19 प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अधीन 50 (पचास) प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-5566, दिनांक 23 जून, 2015 द्वारा श्री नायक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री नायक के पत्र, दिनांक 11 अगस्त, 2015 द्वारा प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

श्री नायक से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि भू-अर्जन की प्रक्रिया भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है, तथापि पदाधिकारी स्तर से यह अपेक्षा है कि वे पर्याप्त पर्यवेक्षण रखें तथा यह भी ध्यान रहे कि गलत अभिलेखों के आधार पर मुआवजा भुगतान न हो । संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों के संबंध में जो मंतव्य दिये गये हैं, उससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2008 की अधिसूचना/अधिघोषणा का मान भी नहीं रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उसके बाद भी निबंधित विक्रय पत्रों की मान्यता दी गयी तथा वैधानिक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मुआवजा का भुगतान किया गया । दान पत्रों के दस्तावेजों को भी मान्यता दी गयी । अतः आरोपित पदाधिकारी का यह कहना कि रैयतों से Indemnity bond भर कर लिया जाता है

तथा इससे PD Act की धारा-13(3) B एवं 17 के अन्तर्गत वसूली हो सकती है । इसका अर्थ यह है कि आदेश पारित करने में अनियमितता हुई है । आरोपित पदाधिकारी का यह कहना है कि मात्र 19 मामले में ही आरोप लगा है, अतः 50 प्रतिशत पेंशन कटौती अधिक है । इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी परोक्ष रूप से मुआवजा भुगतान में गड़बड़ियों को स्वीकार करते हैं ।

सभी तथ्यों पर विचार करते हुए श्री नायक के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् पेंशन से 50 प्रतिशत की राशि की कटौती करने का निर्णय लिया गया । तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-10761, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से उक्त दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-712, दिनांक 8 मार्च, 2016 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी ।

अतः विभागीय संकल्प सं०-3237, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 द्वारा इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) की राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री नायक द्वारा महामहिम राज्यपाल को अपील अभ्यावेदन, दिनांक 4 जुलाई, 2016 समर्पित किया गया, जिसे राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1516, दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया गया ।

श्री नायक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में दिये गये तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इसमें कोई नये तथ्य नहीं दिये गये हैं। प्रायः वही तथ्य हैं, जो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव-बयान एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित किये गये थे। अतः इनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इन पर अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 56--50